

09/03/2021

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में कई बार आपाज लगवाई गई। वकील वादी अथवा पक्षधाराम में से कोई भी हाजिर अदालत नहीं आया। ऊपर: प्रकरण अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज किया जा रहा है। पत्रावली कुल श्रुमार होकर नम्बर से कम है तथा बाद तकमील दाखिल फरार है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राकेश कुमार)

RAJ

उपखण्ड अधिकारी

खण्डेला (सीकर)